



2025:RJ-JP:45576

[2025:RJ-JP:45576]

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN  
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13524/2025

Salamuddin @ Ghuna @ Vodha S/o Late Babu Kha, Aged About 57 Years, R/o Semla Kalan Police Station Jaluki, District Deeg (Raj.) (At Present Confined In Sub Jail Deeg).

-----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13695/2025

Deenu @ Bahra S/o Late Sh. Raybhan, Aged About 58 Years, R/o Village Semla Kalan, Police Station Jaluki District Deeg Rajasthan (At Present Confined In Sub Jail Deeg)

-----Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

---

|                   |   |                                                |
|-------------------|---|------------------------------------------------|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Sanjay Khan, Adv.<br>Mr. Anoop Kumar, Adv. |
| For Respondent(s) | : | Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP                 |

---

**HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI**

**Order**

**13/11/2025**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक-पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना जालूकी, जिला डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 72/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 238(a) भारतीय न्याय संहिता तथा 3, 4,



6/8 राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वे लंबे समय से अभिरक्षा में हैं, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त सलामुद्दीन उर्फ घुणा उर्फ वोधा दिनांक 23.09.2025 से तथा प्रार्थी/अभियुक्त दीनू दिनांक 18.09.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, उनसे कोई बरामदगी शेष नहीं है। सहअभियुक्त शाहिद खान का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7618/2025 तथा सहअभियुक्तगण इकबाल व इस्लाम का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 7829/2025 आदेश दिनांक 13.08.2025 के माध्यम से, सहअभियुक्त आजाद उर्फ आजादी का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 11038/2025 आदेश दिनांक 01.09.2025 तथा सहअभियुक्त राहुल का जमानत प्रार्थना पत्र संख्या



12214/2025 आदेश दिनांक 24.09.2025 के माध्यम से इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किये जा चुके हैं, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रकरण उनसे भिन्न नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. सलामुद्दीन उर्फ घुणा उर्फ वोधा पुत्र स्व. बाबू खां 2. दीनू उर्फ बहरा पुत्र स्व. रायभान** की ओर से प्रस्तुत दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र तथा पचास-पचास हजार रुपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J